

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAY (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. 2018/TG-1/23/YTSK-GST

New Delhi, Dated 29.01.2019

| | |
|---|--|
| Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways. | GM/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi-110021. |
|---|--|

(Commercial Circular no. 04 of 2019)

Sub: Accounting and GST (Goods & Services Tax) process flow in respect of YTSK (Yatri Ticket Suvidha Kendra) transactions.

Ref: (i) Northern Railway's letter no. 315/MC/Policy YTSK/2014 dt. 01.01.2019.
(ii) South Central Railway's letter no. C/CR/YTSK/Correspondence/14-17 dt. 26.11.2018.

Instructions delineating applicability of GST on YTSK had been issued vide Commercial Circulars no. 45/2017 and 05/2018. However, queries have, thereafter, been raised by Zonal Railways and YTSK Associations vis-a-vis Accounting procedure in respect of YTSK related transactions. In response, inputs have been taken from Northern and South Central Railways vide letters referred to above.

2. Based on the feedback furnished by Northern and South Central Railways, the matter has been examined in consultation with Accounts Directorate of the Ministry of Railways. Accounting and GST process flow vis-a-vis YTSK related transactions clarifying the methodology for collection and deposit of GST by YTSK has now been framed. The same is enclosed herewith.

2.1 Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

DA: As above.


(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

No. 2018/TG-1/23/YTSK-GST

Dated: 29.01.2019

Copy forwarded to:
PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.


for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

Accounting and GST process flow in respect of YTSK transaction

- Commercial Circular No. 05/2018 clearly brings out that Service charges collected for booking of a ticket through YTSK licensee form an integral part of the value of the transportation of service provided by IR. Therefore the service charges will be subjected to the same tax treatment as applicable to the underlying transportation services for which tickets are issued.

| Type of Transactions | Transaction | GST Implications | Accounting Entry | Remarks |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| Passenger Earnings | PRS issued through YTSK--- Taxable transactions (i.e AC Class) | GST @ 5% shall be levied on the entire ticket cost including service charges | a) GST Received will be accounted in Deposit Miscellaneous -GST; b) Passenger Earnings will be credited to Earning Head; c) Service Charges (YTSK) portion will be credit to Deposit Miscellaneous | CRIS-PRS team to provide necessary MIS reports to concerned Zonal Railways, on the basis of which Accounting Entries will be passed in the Zonal Railway's Books. |
| -do- | PRS issued through YTSK--- Exempted transactions (i.e non-AC Class) | There will be no incidence of GST levy | a) Passenger Earnings will be credited to Earning Head; b) Service Charges (YTSK) portion will be credit to Deposit Miscellaneous | -do- |
| Service Charges payable to YTSK | YTSK to raise Invoice on Zonal Railways for receiving their share of Service Charges on both Taxable Ticket and non-Taxable | • In case YTSK is registered under GST, then Tax Invoice for their share of Service Charges plus GST @ 18% shall be levied; | a) Deposit Misc.-Dr Misc. Advance (GST) ---Dr To Cheques and Bills ---Cr. (For Registered YTSK Tax Invoice | -do- |

Handwritten signature and date: 14/1/19

| Type of Transactions | Transaction | GST Implications | Accounting Entry | Remarks |
|----------------------|-------------|---|---|---------|
| | Tickets | <ul style="list-style-type: none"> If YTSK is not registered under GST, then no GST levied by them in the Invoice; | payments) b) Deposit Misc.-Dr To Cheques and Bills ----Cr. (For Unregistered YTSK Invoice payments) Note:- Input Tax Credit will be availed by Railways on the basis of accounting entry made at (a) above. | |

14/1/09

-X-X-X-

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/टीजी-1/23/वाईटीएसके-जीएसटी

नई दिल्ली, दिनांक: 29.01.2019

| | |
|---|---|
| प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें. | महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 |
|---|---|

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 04)

विषय: वाईटीएसके (यात्री टिकट सुविधा केंद्र) लेनदेन के संबंध में लेखांकन और जीएसटी
(माल एवं सेवा कर) प्रक्रिया।

संदर्भ: (i) उत्तर रेलवे का दिनांक 01.01.2019 का पत्र सं 315/एमसी/पॉलिसी
वाईटीएसके/2014

(ii) दक्षिण मध्य रेलवे का दिनांक 26.11.2018 का पत्र सं सी/सीआर/ वाईटीएसके/
कॉरिसपोर्ट्स / 14-17

अनुदेश, जिनमें वाईटीएसके पर जीएसटी की प्रयोजनीयता वर्णित की गई हैं, वाणिज्यिक परिपत्र सं. 45/2017 और 05/2018 के तहत जारी किए गए थे। हालांकि, इसके बाद, क्षेत्रीय रेलों और वाईटीएसके एसोसिएशनों द्वारा वाईटीएसके से संबंधित लेनदेन के बारे में लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं। इसके जवाब में, उत्तर और दक्षिण मध्य रेलवे से उपरोक्त संदर्भित पत्रों के तहत जानकारी प्राप्त की गई है।

2. उत्तर और दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर, रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। लेखांकन और जीएसटी प्रक्रिया तथा वाईटीएसके से संबंधित लेनदेन को स्पष्ट करते हुए वाईटीएसके द्वारा जीएसटी के संग्रहण और जमा करने की कार्यप्रणाली तैयार की गई है। यह इस पत्र के साथ संलग्न है।

2.1 तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
संलग्नक: यथोक्त

(समीर कुमार)
निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2018/टीजी-1/23/वाईटीएसके-जीएसटी

दिनांक: 29.01.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:

पीएफए एवं सीएओ, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक, (लेखा-परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) कार्य निदेशक सतर्कता(थातायात), कार्य निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/एफसी, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
- 3) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 4) जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, एनएआईआर, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71
- 14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614

वाईटीएसके लेनदेन के संबंध में लेखांकन और जीएसटी प्रक्रिया

वाणिज्यिक परिपत्र सं. 05/2018 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वाईटीएसके लाइसेंसधारी के माध्यम से बुक किए गए टिकट का सेवा प्रभार भारतीय रेल द्वारा प्रदान की गई परिवहन सेवा का एक अविभाज्य हिस्सा है। इसलिए सेवा प्रभार उसी समान कर उपाय के अधीन होंगे जो अंतर्निहित परिवहन सेवाओं पर लागू होते हैं जिनके लिए टिकट जारी किए जाते हैं।

| लेन-देन के प्रकार | लेन-देन | जीएसटी निहितार्थ | लेखांकन प्रविष्टि | टिप्पणियां |
|------------------------------|--|--|--|--|
| यात्री आय | वाईटीएसके के माध्यम से जारी पीआरएस---- कर योग्य लेनदेन (अर्थात् एसी क्लास) | सेवा प्रभार सहित संपूर्ण टिकट की लागत पर 5%की दर से जीएसटी लगाया जाएगा | क) प्राप्त किए गए जीएसटी को जमा-विविध-जीएसटी में हिसाब में लिया जाएगा; ख) यात्री आय को आय शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा; ग) सेवा प्रभार (वाईटीएसके) भाग को विविध जमा में क्रेडिट किया जाएगा | क्रिस-पीआरएस टीम संबंधित क्षेत्रीय रेलों को आवश्यक एमआईएस रिपोर्ट मुहैया कराएंगी, जिसके आधार पर क्षेत्रीय रेलों की लेखा पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियां पारित की जाएंगी। |
| -वही- | वाईटीएसके के माध्यम से जारी पीआरएस---- कर मुक्त लेनदेन (अर्थात् गैर एसी क्लास) | जीएसटी लगाने का कोई मामला नहीं है। | क) यात्री आय को आमदनी शीर्ष में क्रेडिट किया जाएगा; ख) सेवा प्रभार (वाईटीएसके) भाग को विविध जमा में क्रेडिट किया जाएगा | -वही- |
| वाईटीएसके को देय सेवा प्रभार | वाईटीएसके कर योग्य टिकट और गैर- कर योग्य टिकट दोनों पर सेवा प्रभार के अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय रेलों पर बीजक तैयार करेंगे। | यदि वाईटीएसके जीएसटी के तहत पंजीकृत है, तो कर बीजक में सेवा प्रभार प्लस 18% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा; | क) जमा विविध-डेबिट विविध अग्रिम जीएसटी-- डेबिट चेक और बिल को ---क्रेडिट (पंजीकृत वाईटीएसके कर बीजक भुगतान के लिए) | -वही- |
| | | यदि वाईटीएसके जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है, तो उनके द्वारा बीजक में | ख) जमा विविध-डेबिट चेक और बिल --- क्रेडिट(गैर पंजीकृत वाईटीएसके बीजक | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। | भुगतान के लिए) नोट:- उक्त (क) में की गई लेखांकन प्रविष्टि के आधार पर रेलवे द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाएगा। | |
|--|--|------------------------------|--|--|